

उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (अजमेर)

5/3/25

वक्तु फरीकन उप/P.O. साहब का पत्र ऊनकाश पर पद्यो (3)  
स्विकृत है। पत्रावली आईन्दा आदेश  
दि. 14/5/25 को पेश हो।

14/05/25

वकीलों द्वारा आज काय स्थगन रखा गया है।  
पत्रावली वास्ते पूर्व नियत कार्यवाही हेतु  
आईन्दा दिनांक 16/07/25 को पेश हो।

15/11/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वाही उपरिच्यत है। अधिवक्ता श्री धर्मवीर  
बामनिमा द्वारा, पत्रावली में उल्लिखित ले. 1 की ओर से अडालतनामा  
पेश करने का समय ~~अब~~ ; जवाब वाखत समय चाहामा।  
पत्रावली वास्ते जवाब उल्लिखित नियत में जाती है। पत्रावली  
वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 17/01/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (अजमेर)

17/01/25

पत्रावली पेश हुई P.O. साहब अन्य डार्मिंग सेवा दिनिव 2025  
के कार्य में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा  
दिनांक 19/11/25 को पेश हो।

19/11/25

वकील वाही उपरिच्यत है। वकील वाही द्वारा नवीन का पत्र पेश  
करने के वाही के अधिसूचरो को सुरक्षित रखते हुये, का पत्र बिना

उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (अजमेर)

डि. वा. पत्र  
नवीन का पत्र  
पेश करने  
के अधिसूचरो  
को सुरक्षित रखते हुये  
उक्त वा. पत्र  
को वि. करत  
हूँ। मी. 0. 0. 0.  
19/11/25

फर्द-अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मिनाय जिला-अजमेर(राज0)


प्रकरण संख्या-३५/२०२५

बनाम.....

अन्तर्गत धारा:-.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
------------	--------------------------------	--

क्रिये जाने बाबत निवेदन किया गया। वकील वारी के सुना  
 जमा। वारी का दिवस कल द्वारा कि उपन क्रिये गये कि वारी इस  
 वाद पत्र पर आगे डोरी समवेत नही चाली है। इस बाबत वारी  
 वारी द्वारा पत्रावली का दिवस पर लिपनी ली गरी। फावली  
 अवकाश पर पामा गया कि उनिवादीगन द्वारा उरि सवा पत्रा  
 नही किया गया है। वकील वारी ~~का~~ पत्रावली पर आगे उरि  
 क्रिये कार्यवाही नही चाली है। वाद पत्र में उरि उरि सवा पत्रा नही है  
 केम लिपनी में पत्रावली पर आगे डोरी समवेत नही रह जमी है  
 अतः वारी के नवीन वाद पत्र पत्रा करने के अधिकारी के  
 सुरक्षित रखते हुये वाद पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त  
 की जाती है। पत्रावली के स्तर रुमा र है। नम्बर से कम उरि र बाखिय  
 दस्त र है।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 मिनाय (अजमेर)